राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक एफ. 7(7)वित्त/कर/2024 जयपुर, दिनांक– 28-08-2024

–::आज्ञा::–

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2021 के परिणाम के आधार पर एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा के आधार पर कार्मिक (क–4/2) विभाग के पत्र संख्या प. 9(2)कार्मिक/क–4/2/2023/14520 दिनांक 21.05.2024 के द्वारा नियुक्ति हेतु संदर्भित किये जाने पर राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम, 1971 के नियम–6 के अनुसरण में महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित सफल अभ्यार्थी को राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा में दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी) के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/ परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन भत्तों पर एतद्वारा नियुक्त करते है, जिसकी संगत तिथि इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 27.06.2024 के अनुसार आयुक्तालय, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर में रिपोर्ट करने की तिथि अनुसार होगीः–

क्र.सं.	मेरिट	रोल नं.	अभ्यर्थी का नाम (सुश्री/सर्वश्री/श्रीमती)	वर्ग	जन्मतिथि	विशेष विवरण
1.	249	902109	MANISH KUMAR CHAUDHARY	BC, NG, RG	29.10.1990	-
2.	1908	905279	JITU KANWAR	GE, WE, WD	11.01.1986	-

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा रही हैः–

1. उक्त नियुक्ति समस्त मूल दस्तावेजों की जांच के अध्यधीन रहेगी।
2. उक्त सेवा आवंटन आर.ए.एस. परीक्षा–2021 के संबंध में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न वादकरणों के अध्यधीन रहेगा।
3. इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना कमांकः प. 1(2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006 एवं प.14(1)वित्त/नियम/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 तथा प. 15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 (Schedule IV/Rule No. 16) के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस.एल.पी. सं. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
4. गर्भवती महिलाओं के लिये कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र कमांक प. 15(1)कार्मिक/क–2/74 दिनांक 16.08.2005 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगे।
5. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख वही है, जो इन्होने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है।
6. उक्त अभ्यर्थियो की नियुक्तियॉ राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियमों के नियम 6 के उपबन्धों और अपेक्षाओं के अनुसार की गई है।
7. उक्त नियुक्तियाँ सम्बन्धित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यधीन है।
8. इन अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा अवधि स्वविवेकानुसार बढाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।

E:\Kishan Ji\Order_LTR_Hindi\282

9. यदि राज्य सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा अधिकारी होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
10. सेवा में नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षों के भीतर त्याग पत्र दे देता है, या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुना राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुना राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी, तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्धक पत्र निष्पादित करेंगे।
11. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–1 अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
12. अभ्यर्थियों के लिए हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर द्वारा तय प्रशिक्षण के दौरान छात्रावास में निवास करना अनिवार्य है तथा प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थी को स्वयं के परिवार के किसी भी सदस्य को रखने की अनुमति नहीं होगी।
13. प्रशिक्षण संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान की वेबसाईट www.hcmripa.gov.in पर उपलब्ध है।
14. बकाया चरित्र सत्यापन में विलम्ब की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को पूर्ण रूप से प्रोविजनल मानते हुए (उनके नाम के आगे प्रोविजनल अंकित किया गया है।) इनकी नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकूल चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा।
15. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थी को "Self declaration" अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी, साथ ही नियमानुसार आपराधिक /विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थी के विरूद्ध अमल में लाई जावेगी।
16. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। दिनांक 01.06.2022 को अथवा इसके पश्चात् दो से अधिक संतान होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं है। परन्तु यदि प्रथम प्रसव से एक जीवित संतान है एवं पश्चातवर्ती प्रसव में एक से अधिक संतान होने पर ऐसी संतानों को एक इकाई माना जायेगा।
17. उक्त अभ्यर्थियों में से यदि कोई भी अभ्यर्थी निश्चित तिथि से 7 दिवस पश्चात तक भी रिपोर्ट नहीं करते है और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते है तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
18. अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र में आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छुपाये जाने की स्थिति में उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी एवं नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
19. सभी अभ्यर्थी कार्यस्थल पर संलग्न प्रपत्र में सूचना भरकर अपने मूल दस्तावेजों मय फोटो युक्त पहचान पत्र के साथ उपस्थित होवें।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

E:\Kishan Ji\Order_LTR_Hindi\283

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिव राजस्थान जयपुर।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपस्थिति प्रस्तुत करने वाले अभ्यार्थी से उक्त आज्ञा के बिन्दु संख्या 10 में उल्लेखित बन्धक पत्र एवं बिन्दु संख्या 15 में आपराधिक प्रकरणों के संबंध में "Self Declaration" अथवा शपथ पत्र तथा बिन्दु संख्या 16 के अनुसार जो अभ्यर्थी विवाहित हो उनके विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना की सत्यापित प्रति प्राप्त करने के उपरान्त ही उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कर इस विभाग को अवगत करावें।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
8. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
9. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–4/2) विभाग को उनकी अशा० टीप क्रमांक प. 9(2)कार्मिक/क–4/2/2023/14520 दिनांक 21.05.2024 के क्रम में।
10. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान जयपुर।
13. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
14. Shri Manish Kumar Chaudhary, ग्राम पोस्ट देवली, तहसील जिला टोंक, टोंक– 304001
15. Smt. Jitu Kanwar, A-23-A DURGADASH COLONY, VAISHALI NAGAR WEST, MEENAWALA, JAIPUR, Rajasthan, 302034 (8949587322)
16. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

E:\Kishan Ji\Order_LTR_Hindi\284